न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 76 / 2021
जीसीएमएस नं. :– 2021 / 159

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री इमीचन्द जाति बिश्नोई निवासी 1 डीएसएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––– **प्रार्थीया**

बनाम्

1. श्री राजेन्द्र पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी 2 डीएम धांधड़ा तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 डीएम धांधड़ा तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––––**अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

दिनांक : 06/03/26

– :: निर्णय :: –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि कृषि भूमि वाके चक 1 डी एस एम तहसील अनूपगढ का मु.नु. 40 पन 83 / 19 क किला नं. 3 ता 8, 14,15 प्रत्येक कमाण्ड, 16 ता 18,24,25 प्रत्येक अनकमाण्ड की कुल 3.289 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। जमाबन्दी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में दर्ज कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि है जो शुरू से ही प्रार्थीया के निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रहीं है। वर्तमान मे उक्त रक्बा प्रार्थीया के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातेदारी कृषि भूमि मे से किला नं. 5,6,15 का प्रकरण में विवाद है जिसे आयंदा विवादित कृषि भूमि कजा जावेगा। प्रार्थीया यहां यह स्पष्ट करती है कि प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के कि. न 5,6,15,16,25 की लाईन के पूर्व दिशा में चक 2 डी एम धांधडा की आबादी है और प्रार्थीया के किला नं. 5 के कुछ हिस्सा, 6 व 15 की तरफ पूर्व दिशा में उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 डी एम धांधडा है प्रार्थीया जो कि ग्रामीण परिवेश की महिला व काश्तकार पेशा है तथा प्रार्थीया की विवादित भूमि आबादी के पास स्थित होने का वेजा फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीया की विवादित भूमि के किला नं. 6 में 15 फीट चौडी व 125 फुट लम्बाई की भूमि पर काविज हो गया [illegible] कानात का निमार्ण कर लिया व शेष भूमि को अपने [illegible] अप्रार्थी सं. 1 ने करीब 15 फीट चौडी व 45 फुट [illegible] की भूमि में अ[illegible] कब्जा में कर लिया तथा इसी प्रकार कि.न. 5 के 40 फीट व 6 व 15 की भूमि में 15 फुट चौडी व 370 फुट की लम्बाई में अन्दर घुस कर अप्राथी सं. 2 ने स्कूल [illegible] दिवार निर्मित कर प्रार्थीया की विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर स्कूल की जगह में मिला लिया। इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि पर बिना किसी विधिक अधिकार के विधि विरूद्ध तरीके से अपने अपने निमार्ण कर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

बतौर अतिक्रमी काबिज हो गये। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रिकार्ड की पूर्णतया छानबीन की और अपने रकबा के सम्बध में तहसीलदार राजस्व अनूपगढ के समक्ष सीमाज्ञान करवाये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर सम्बधिंत हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.07.2021 को मौका पर सीमाज्ञान करवाया गया और अपनी रिपोर्ट दी कि मौका पर किला नम्बर 5,6,15,16,25 में प्रत्येक किला में पूर्व की तरफ प्रार्थीया का रकबा जरीब की 18 कडी कम पाई गईं जो प्रार्थीया के खाते का खातेदारी रकबा है इस प्रकार प्रार्थीया को सीमाज्ञान करवाये जाने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थीया के खातेदारी रकबा के किला 5,6,15 के रकबा पर विधि विरूद्ध तरीके से अपने मकान एवं दीवार के निमार्ण कर बतौर अतिचारी कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि पर काबिज रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। चूंकि तहसीलदार के आदेशानुसार हल्का पटवारी के द्वारा की गई पैमाईश के पश्चात कि.नं. 16 व 25 की 15–15 फीट भूमि जो इन किलों के पूर्व दिशा में दबी हुई थी वह प्रार्थीया को मिल चुकी है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि के किला नं. 5 में करीब 15 फीट चौडी व 125 फुट लम्बाई की भूमि पर अप्राथी सं. 1 काबिज हो गया और उस पर अप्रार्थी सं 1 ने करीब 15 फीट चौडी व 45 फीट लम्बाई की भूमि में अपने मकानात का निमार्ण कर लिया व शेष भूमि को अपने कब्जा में कर लिया तथा इसी प्रकार कि न. 5 की 40 फुट, 6 व 15 की भूमि में करीब 15 फीट चौडी व 370 फुट लम्बाई में अन्दर घुस कर अप्रार्थी सं. 2 ने स्कूल की दिवार का निमार्ण कर बतौर अतिचारी रैकं ट्रेसपार्सर अतिक्रमण किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि के किला नं. 5,6,15 की भूमि पर विधिविरूद्ध तरीके से अतिक्रमण कर प्राथीया को उसके खातेदारी अधिकारो से पूर्ण रूप से वचिंत कर रखा है जिससे प्रार्थीया की खातेदारी भूमि कम होने से प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति पहुंचाई है। प्रार्थीया का यह विधिक अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं 1 व 2 द्वारा अवैध रूप से निमार्ण कर किये गये अवैध कब्जा को हटवावे और अपनी खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करें। प्रार्थीया को उक्त तथ्यो की जानकारी होने के उपरांत प्रार्थीया ने आज से अरसा पाचं दिन पूर्व अप्रार्थी सं. 1 व 2 को संपर्क कर उन्हे कहा गया कि उनके द्वारा जो विधिविरूद्ध तरीके से प्रार्थीया की विवादित भूमि पर जो निमार्ण कर बतौर अतिचारी कब्जा किया हुआ है उसे हटाकर कब्जा प्रार्थीया के सपूर्द कर देवे लेकिन अप्रार्थी सं. 1 वा 2 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। वादाधीन भूमि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीया का हित निहित है। चूकिं अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि पर विधिविरूद्ध तरीके से अतिक्रमण कर प्रार्थीया को उसके खातेदारी अधिकारों से पूर्ण रूप से वचिंत कर रखा है जिससे प्रार्थीया की खातेदारी भूमि कम होने से प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति पहुंचाई है। अप्रार्थी सं. 1 वा 2 प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि (विवादित भूमि) पर काबिज बने रहने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पुर्णतया प्रार्थीया के पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि तामिला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि चक 1 डी एस एम तहसील अनूपगढ का मु.नं. 40 प.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

83/19 के किला नं. 5,6,15 में किसी प्रकार का अन्य निमार्ण करने व करवाने से बाज वा ममनू रहे कृपा होगी।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि पर दर्शाये गये कब्जा एवं निर्माण को हटवाने अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अंतिम अनुतोष चाहा है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अंतिम अनुतोष मूल वाद में विधिवत परीक्षण एवं गुणावगुण पर निर्णित/निर्धारित किया जा सकेगा।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थीया के जवाब एवं स्टेट जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– यह कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के दर्शाये कब्जे एवं निर्माण को हटवाने का अनुतोष न्यायालय से चाहा है जो कि मूल वाद के गुणावगुण पर निर्धारित किया जाना है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने अपने अपने जवाब में उक्त विवादित भूमि पर कब्जा होने से स्पष्ट इन्कार किया है। ऐसे में न्यायालय मूल वाद तक इस अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखना उचित नहीं मानता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलन:–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी अपनी जरूरतों से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षति:–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। इस स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये गये है। [illegible] न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06/03/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश राव)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़